बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार ,पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 108/09–10

1. परिचयात्मक –

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम	–	अंचल कार्यालय, डुमराँव (बक्सर)
(ख)	अंकेक्षणान्तर्गत लेखा अवधि	–	वर्ष 2005–06 से 06–07
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम	–	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार ,पटना
(ध)	नियंत्री पदाधिकारी का नाम	–	जिला पदाधिकारी ,बक्सर
(ङ)	अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं अवधि	–	(i) श्री विश्वजीत हेंगरी, अंचलाधिकारी – दि0 01.04.05 से 05.12.05 तक (ii) श्री अरूण कुमार झा, अंचलाधिकारी – दि0 06.12.05 से 06.07.06 तक (iii) श्री फिरोज अख्तर, अंचलाधिकारी – दि0 07.07.06 से 31.03.07 तक (iv) श्री सुरेश प्रसाद राम, नाजीर सह प्रधान सहायक – दि0 01.04.05 से 12.08.05 तक प्रधान सहायक के रूप में 10.7.05 तक कार्यरत। (v) श्री विश्वनाथ चौधरी,प्रधान सहायक – दि0 11.07.05 से 31.03.07 तक (vi) श्री गोविन्द प्रसाद, नाजीर – दि0 13.08.05 से 31.03.07 तक
(च)	अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	–	श्री गोविन्द प्रसाद, नाजीर
(छ)	वरीय अंकेक्षकों के नाम	–	(i) श्री मुकेश कुमार सिंह, वरीय अंकेक्षक –2 (ii) श्री संजय कुमार, वरीय अंकेक्षक –2
(ज)	अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि	–	11.09.2009
(झ)	अंकेक्षण समापन तिथि	–	12.01.2010
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्यदिवस	–	41 कार्यदिवस
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची	–	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट –'क' पर संलग्न है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

इस कार्यालय के लेखा का अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक–3286 वि0अं0 पटना दिनांक 16.9. 1960 में निहित निदेशानसार अंकेाण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया गया। कार्यालय द्वारा जिला कोषागार बक्सर से निकासी एवं जमा की गई राशि का सत्यापन कोषागार अभिलेखों से शत–प्रतिशत किया गयाएवं सही पाया गया। पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जानेकी बजह से अंकेक्षण आपत्तियों के अनुपालन की समीक्षा नहीं हो सकी।

(ड़) वित्तीय परिशंसा :–

कार्यालय से प्राप्त आवंटन एवं व्यय की विवरणी प्रतिवेदन में परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है। वर्ष 05–06 एवं 06–07 के राजस्व माँग एवं वसूली का विवरणी प्रतिवेदन में परिशिष्ट''ग'' संलग्न किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि सैरात संबंधी आय संतोषप्रद नहीं है। भविष्य में सैरात की आय में बढ़ोत्तरी करने की दिशा में उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अंकेक्षित अवधि में सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का विवरण निम्नलिखित है :–

(1) **दिनांक 31.3.2005 संवरण शेष रू0 479114=81**

संवरण शेष का विवरण–4,79,114=81

01	शीर्ष	2029	भू0 रा0	–	39,603.00
02	,,	288	गृह योजना	–	94,988.00
03	,,	2245	सहाय्य	–	34,831.35
04	,,	2506	भू0 रा0	–	1,02,320.00
05	,,	6505	भू0 सुधार	–	7,500.00
06	,,	2055	ग्रा0पु0	–	8,00,92.20
07	,,	2210	पल्स पोलियो	–	2,519.30
08	,,	2015	निव्राचन	–	28.75
09	,,	2235	सा0 सु0	–	34,698.95
10	,,		विविध सूद	–	82,532.78
					4,79,114.81

अवशेष राशि की मदवार विवरणी

01. भारतीय स्टेट बैंक , बक्सर – 2696=81
    बचत खाता संख्या – 01100050006
02. भारतीय स्टेट बैंक ,डुमराँव – 1598=88
    बचत खाता संख्या – 01190005930
03. बैंक ऑफ इंडिया, नेनुआ – 18081=00

बचत खाता संख्या – 2968		
04. पंजाब नेशनल बैंक, डुमराँव	–	1872=04
बचत खाता संख्या – 11157		
05. सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 डुमराँव	–	146=35
बचत खाता संख्या – 43		
06. अस्थायी –अग्रिम स्वरूप	–	4144=00
07. असमायोजित अभिश्रव	–	3,54,032=74
08. नकद	–	96,542=99
		4,79,114=81

(2) दिनांक – 31.03.2006 – संवरण शेष – रू0 6,10,411=38

संवरण शेष का विवरण

01. शीर्ष 2029 भू0 रा0	–	16,506=00
02. शीर्ष 288 गृ0 यो0	–	94,988=48
03. शीर्ष 2245 सहाय्य	–	39,831=35
04. शीर्ष 2506 भू0 रा0	–	1,02,320=00
05. शीर्ष 2055 ग्रा0 पु0	–	29,359=20
06. शीर्ष 2210 प0 पो0	–	2519=30
07. शीर्ष 6505 भू0 सु0	–	7500=00
08. शीर्ष 2015 निर्वाचन	–	28=75
09. शीर्ष विविध सूद	–	83,259=35
10. शीर्ष 2235 सा0 सु0	–	34,698=95
11. शीर्ष एकादश वित्त आयोग	–	1,99,400=00
		6,10,411=38

अवशेष राशि की विवरणी

01. भारतीय स्टेट बैंक,बक्सर	–	12,881=65
बचत खाता संख्या – 01100050006		
02. भारतीय स्टेट बैंक ,डुमराँव	–	1626=84
बचत खाता संख्या – 01190005930		
03. बैंक ऑफ इंडिया, नेनुआ	–	2,25,251=00
बचत खाता संख्या – 2968		
04. पंजाब नेशनल बैंक, डुमराँव	–	1872=04
बचत खाता संख्या – 11157		
05. सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लि0 डुमराँव	–	146=35
बचत खाता संख्या – 43		
06. अस्थायी –अग्रिम	–	4144=00
07. असमायोजित अभिश्रव	–	3,63,704=74
08. नकद	–	784=76

6,10,411=38

(3) दिनांक – 31.03.2007 – संवरण शेष – रू0 7,98,211=38

<u>संवरण शेष का विवरण</u>

01. शीर्ष 2029 भू0 रा0	–	2,60,429=00
02. शीर्ष 288 ग्रा0 गृ0 यो0	–	94,988=48
03. शीर्ष 2245 सहाय्य	–	34,831=35
04. शीर्ष 2506 भू0 रा0	–	1,02,320=00
05. शीर्ष 2055 ग्रा0 पु0	–	25,236=20
06. शीर्ष 2210 प0 पो0	–	2519=30
07. शीर्ष 6505 भू0 सु0	–	7500=00
08. शीर्ष 2015 निर्वाचन	–	28=75
09. शीर्ष विविध सूद	–	83,259=35
10. शीर्ष 2235 सा0 सु0	–	34,698=95
11. शीर्ष एकादश वित्त आयोग	–	1,52,400=00
		7,98,211=38

<u>अवशेष राशि की विवरणी</u>

01. भारतीय स्टेट बैंक,बक्सर बचत खाता संख्या – 01100050006	–	2,44,111=93
02. भारतीय स्टेट बैंक ,डुमराँव बचत खाता संख्या – 01190005930	–	1626=84
03. बैंक ऑफ इंडिया, नेनुआ बचत खाता संख्या – 2968	–	1,74,297=00
04. पंजाब नेशनल बैंक, डुमराँव बचत खाता संख्या – 11157	–	1872=04
09. कॉपरेटिव बैंक लि0 डुमराँव बचत खाता संख्या – 43	–	146=35
05. अस्थायी –अग्रिम	–	4144=00
06. असमायोजित अभिश्रव	–	3,70,696=74
07. नकद	–	1316=48
		7,98,211=38

(ढ़) सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में नकद राशि का भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापंक–503 दिनांक 29.01.1976 के आलोक में अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – 11.09.2009 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में नकद राशि का भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारी द्वारा किया गया एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र सामान्य रोकड़ पुस्त पर अंकित किया गया।

दिनांक –11.09.2009 के संवरण शेष का विवरण निम्न प्रकार पाया गया :–

01.शीर्ष 2029 भू0 रा0	– 44,056=00
02.शीर्ष 288 ग्रा0 गृ0 यो0	– 94,988=48
03.शीर्ष 2245 सहाय्य	– 41,331=35
04.शीर्ष 2506 भू0 रा0	– 1,02,320=00
05.शीर्ष 2055 ग्रा0 पु0	– 25,236=20
06.शीर्ष 2210 प0 पो0	– 2519=30
07.शीर्ष 6505 भू0 सु0	– 7500=00
08.शीर्ष 2015 निर्वाचन	– 28=75
09.शीर्ष विविध सूद	– 1,08,790=13
10.शीर्ष 2235 सा0 सु0	– 34,698=95
11.शीर्ष एकादश वित्त आयोग	– 1,77,400=00
	6,38,869=16

अवशेष राशि की विवरणी

01. भारतीय स्टेट बैंक,बक्सर बचत खाता संख्या – 01100050006	– 8527=71
02. भारतीय स्टेट बैंक ,डुमराँव बचत खाता संख्या – 01190005930	– 1626=84
03. बैंक ऑफ इंडिया, नेनुआ बचत खाता संख्या – 2968	– 2,36,139=00
04. पंजाब नेशनल बैंक, डुमराँव बचत खाता संख्या – 11157	– 1872=04
05. कॉपरेटिव बैंक लि0 डुमराँव बचत खाता संख्या – 43	– 146=35
06. असमायोजित अभिश्रव	– 3,82,499=74
07. अस्थायी –अग्रिम	– 4144=00
08. नकद	– 3913=48
	6,38,869=16

नकद राशि का विवरण

(1) 100	x 39	=	3900=00
(2) 10	x 01	=	10=00
(3) 1	x 03	=	03=00
(4) सिक्के		=	0=48
			3913=48

(i) अस्थायी अग्रिम में रू0 300=00 का अन्तर पाया गया। इसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के कंडिका –02 पर दिया गया है।

(ii) असमायोजित अभिश्रव में रू0 1285=28 का अन्तर पाया गया। इसका विस्तृत व्योर प्रतिवेदन के कंडिका –03 पर द्रष्टव्य है।

(ण) कार्यालय के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण :–

कार्यालय के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट–'घ' पर द्रष्टव्य है।

भाग – 1

2. सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में वास्तविक से अधिक अस्थायी अग्रिम अंकित कर रू0 300=00 का गबन :–

अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – 11.09.09 को संवरण शेष के विवरण में अस्थायी अग्रिम की राशि रू0 4144=00 दर्शाया गया था। अग्रिम पंजी के जाँचक्रम में अस्थायी अग्रिम की राशि रू0 3844=00 ही पाया गया।

अग्रिम पंजी के अनुसार अग्रिम का विवरण निम्नवत है :–

क्रम संख्या	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम/पदनाम	अग्रिम राशि	भुगतान तिथि	अग्रिम पंजी का पृष्ट संख्या	अग्रिम का प्रयोजन
01	श्री हैदर अली, जीप चालक	621=00	14.02.91	03	वर्दी हेतु
02	श्री हैदर अली, जीप चालक	223=00	20.07.92	06	जीप मरम्मति हेतु
03	श्री पंकज कुमार, जीप चालक	3000=00	06.11.98	07	अंकित नही

योग – रू0 3844=00

दिनांक 31.3.06 एवं 31.3.07 को भी संवरण शेष के विवरण में अस्थायी अग्रिम रू0 4144=00 ही अंकित किया गया था, जो कि वास्तव में रू0 3844=00 होना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.8.05 को तत्कालीन ,नाजिर द्वारा नजारत का प्रभार दिया गया था। दि0 13.8.05 को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का विवरण निम्नवत था।

13.8.05 का संवरण शेष – रू0 4,23,280=30

(i) अभिश्रव स्वरूप — 3,61,504=74
(ii) अग्रिम स्वरूप — 4144=00
(iii) बैंक में — 19,395=08
(iv) नकद — 38,236=48

रू0 4,23,280=30

प्रभार तिथि को भी अग्रिम 4144=00 के आधार पर प्रभार दिया गया। वास्तविक अग्रिम राशि रू0 3844=00 पर प्रभार होना चाहिए था। स्पष्ट है कि इसके कारण सामान्य रोकड़ पुस्त में नकदी को भी कम दिखाया गया। दिनांक 13.08.05 को सामान्य रोकड़ पुस्त में नकद राशि रू0 38,236=48 पाया गया जो कि 38,236. 48+300.00= 38,536=48 होना चाहिए था । इसी तरह दिनांक 11.09.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त में नकद राशि रू0 3913.48 पाया गया जो कि 3913.48+300. 00= 4213=48 होना चाहिए था। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि तत्कालीन नाजीर से पत्राचार किया जायेगा एवं स्थिति स्पष्ट होने के उपरांत आवश्यक सुधार की कार्रवाई की जायेगी।

अतः रू0 300=00 सामान्य रोकड़ पुस्त में अधिक अग्रिम दिखाकर गबन किया गया। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर प्रशासी विभाग की कार्रवाई अपेक्षित हैं। प्रशासी विभाग अपने द्वारा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराये।

3. <u>सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में वास्तविक से अधिक असमायोजित अभिश्रव अंकित कर रू0 1285=28 का दुर्विनियोग —</u>

दिनांक 11.09.2009 के सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के विवरण में पारित असमायोजित अभिश्रव की राशि रू0 3,82,499=74 दर्शाया गया था। यह राशि विगत कई वर्षो में किये गये व्यय से संबंधित पारित असमयोजित अभिश्रवों का योग है।

असमायोजित अभिश्रवों एवं अभिश्रव पंजी की जाँच एवं सत्यापन में असमायोजित अभिश्रवों की वास्तविक राशि और रोकड़ पुस्त में दर्शायी गयी राशि में भिन्नता पायी गई। असमायोजित अभिश्रवों की राशि का कुल योग रू0 3,81,214=46 पाया गया जो कि रोकड़ पुस्त में दर्शायी गयी राशि से रू0 1285=28 का है।

(i) सामान्य रोकड़ पुस्त में दर्शायी गई असमायोजित अभिश्रवों की राशि — 3,82,499=74
(ii) अभिश्रव पंजी में अंकित असमायोजित अभिश्रवों की राशि — 3,81,214=46
(iii) अंतर राशि — **रू0 1285=28**

वर्ष वार असमायोजित अभिश्रवों की विवरणी निम्नलिखित है —

क्रम सं0	वर्ष	राशि
01	1989—90	7459=80
02	1990—91	26,076=35
03	1991—92	20,952=19
04	1992—93	53,229=36
05	1993—94	37,317=37
06	1994—95	12,102=08
07	1995—96	27,084=89
08	1996—97	34,686=59 2,18,908=63
	B/F- 2,18,908=63	
09	1997—98	22,438=45
10	1998—99	18,649=43
11	1999—00	34,355=37
12	2000—01	14,392=48
13	2001—02	13,578=81
14	2002—03	9,428=60
15	2003—04	9,277=69
16	2004—05	11,718=00
17	2005—06	9,672=00
18	2006—07	6,992=00
19	2007—08	10,246=00
20	2008—09	—
21	2009—10 (11.09.09 तक)	1557=00

कुल योग — 3,81,214=46

इस संबंध में अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि अभिलेखों की जाँच की जा रही है एवं पूर्व नाजीर से पूछ ताछ की जा रही हैं। वास्तविक असमायोजित अभिश्रवों से 1285 = 28 रू0 रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के विवरण में अधिक अंकित कर दुर्विनियोग किया गया था। इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर प्रशासी विभाग की कार्रवाई अपेक्षित है। प्रशासी विभाग अपने द्वारा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराये।

4. योजना कार्यारम्भ नही होने के कारण सूद की राशि वसूली योग्य :—

एकादश वित्त आयोग रोकड़ पुस्त एवं संबंधित संचिका की जाँच में पाया गया कि एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पारम्परिक जल श्रोतों के संरक्षण एवं बढ़ोतरी हेतु ग्राम चिलहरी लहसर पोखरा के जीर्णोद्वार एवं उन्नयन कार्य योजना हेतु समाहर्ता बक्सर के ज्ञापांक — 913 दिनांक 7.09.05 द्वारा राशि का उप आवंटन किया गया था।

योजना का विवरण निम्नलिखित है :–

योजना सं0 / वर्ष	योजना का नाम	योजना हेतु उपआवंटित राशि	प्राक्कलित राशि	योजना हेतु भुगतान की गई राशि का विवरण ———————————————— भु0 प्राप्तकर्त्ता –भु0 तिथि –राशि
02 / 05–06	ग्राम – चिलहरी लहसर पोखरा के जीर्णोद्वार एवं उन्नायन कार्य	99,800=00	98,800=00	सचिव, ग्राम पंचायत चिलहरी –23.02.06 – 25000=00 (चेक सं0–369 दि0 23.02.06)

योजना का कार्य प्रारभ्भ करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत चिलहरी को दि0 23.02.06 को चेक सं0– 369 दि0 23.02.06 द्वारा रू0 25,000=00 का भुगतान किया गया था। योजना का कार्य, रूपया प्राप्त करने के पश्चात् भी प्रारंभ नही किया गया। कार्यालय के ज्ञापांक – 241 दि0 11.05.07 द्वारा योजना अपूर्ण रहने की स्थिति में भुगतित राशि सूद सहित जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् पंचायत सचिव,चिलहरी ने वगैर योजना का कर्य कराए दिनांक – 4.7.07 को रू0 25,000=00 कार्यालय में चेक (चेक सं0 – 15168) द्वारा जमा कर दिये।

इस प्रकार लगभग 18 महीने तक सरकारी पैसे को अपने पास रखा गया और योजना का कार्य नही कराया गया। इस राशि का उपयोग किस मद में किया गया, यह स्पष्ट नही हो पाया। साथ ही, इस राशि पर प्राप्त सूद को कार्यालय में भी जमा नही किया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में सूद वसूली हेतु कार्रवाई करने की बात कही गई।

अनावश्यक रूप से राशि को 18 महीने तक सरकारी कोष से बाहर रखने के कारण सूद की राशि की गणना कर उत्तरदयी व्यक्ति से सूद की राशि वसूल की जाए एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

5. अनुमान्य से अधिक दर पर दैनिक भत्ता की भुगतान राशि रू0 70=00 वसूली योग्य :–

वर्ष 2006–07 के यात्रा भत्ता विपत्रों के कार्यालय प्रतियों की जाँच में पाया गया कि श्री रमण प्रसाद सिन्हा, अंचल निरीक्षक को माह–जनवीर 07 के यात्रा भत्ता मद में रू0 1500=00 का भुगतान दिनांक – 20.03.07 को किया गया था। इस राशि की निकासी विपत्र सं0 – 99 / 06–07 से की गई थी।

श्री सिन्हा दिनांक– 18.01.07 को सरकारी कार्य से पटना गये एवं दिनांक – 20.01.07 को वापस मुख्यालय लौट आये / इस यात्रा हेतु दो दिनों का दैनिक भत्ता 185=00 की

दर से रू0 370=00 का भुगतान किया गया था /उल्लेखनीय है कि श्री सिन्हा का मूल वेतन जनवरी 07 में 8450=00 रू0 था।

बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम –69(1) के अनुसार श्री सिन्हा को उनके मूल वेतन के आधार पर पटना शहर के लिए दैनिक भत्ता का अनुमान्य दर 150=00 है और इसके अनुसार दो दिनों का दैनिक भत्ता 150X2 =300.00 रू0 भुगतान होना चाहिए था। जबकि रू0 370=00 का भुगतान किया गया था। अतः अन्तर राशि 370=00 – 300=00 =70=00 रू0 वसूली योग्य है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि श्री सिन्हा से राशि जमा करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

उत्तरदायी व्यक्ति से राशि वसूल कर संबंधित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

6. योजना संबंधी मूल अभिलेख, मापी पुस्त एवं अभिश्रव अप्रस्तुत रहने से रू0 1,22,000=00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

एकादश वित्त आयोग रोकड़ पुस्त एवं अन्य अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पारम्परिक जल श्रोतों के संरक्षण एवं बढ़ोतरी हेतु विभिन्न योजनाओं हेतु राशि का उप आवंटन किया गया था। योजनाओं के कार्य प्रारभं करने हेतु कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया था।

योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं –

क्रम सं0	योजना सं0 /वर्ष	योजना का नाम	योजना हेतु उप आवंटित राशि	प्राक्कलित राशि	भुगतान प्राप्तकर्त्ता	भुगतान तिथि	राशि
01	01/05–06	ग्राम मठीला में दक्षिण पोखर के पूरव किनारे मिट्टी भराई कार्य	1,00,000	92,500	सचिव,ग्राम पंचायत मठीला चेक सं0 –370 23.2.06	23.02.06	25000=00 25000=00
02	03/05–06	ग्राम –घरहरा में कृष्ण ब्रह्म के निकट पोखर की खोदाई कार्य	99,600	99,400	सचिव, ग्राम पंचायत नुआँव चेक सं0 368 23.2.06 367 10.3.06 13952	23.02.06 10.03.06	25000=00 25000=00

					5.4.06 13953 4.5.06	05.04.06 04.05.06	25000=00 22000=00

रू0 97000=00

कुलरू0– 1,22,000=00

कार्य प्रारंभ करने हेतु योजना सं0 – 01/05–06 के लिए सचिव,ग्राम पंचायत मठीला को रू0 25000=00 एवं सचिव,ग्राम पंचायत नुआँव को रू0 97000=00 भुगतान किया गया था। योजना पर किये गये व्यय की जाँच हेतु योजना अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। योजना पूर्ण हुआ अथवा अपूर्ण रहा इसके संबंध में कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया जिसके कारण रू0 25,000+97,000=1,22,000=00 के व्यय की जाँच नही हो पाया। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि योजना का मूल अभिलेख, अभिश्रव एवं मापी पुस्तिका की माँग की गयी है।

योजना का कार्य शीध्र पूर्ण कराने हेतु उच्चाधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तब तक योजनाओं पर किये गये व्यय रू0 1,22,000=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

7. क्रय सामाग्री का भंडार पंजी में प्रविष्टि नही किये जाने के फलस्वरूप रू0 2747=00 आपत्ति अन्तर्गत :–

वर्ष 05–06 एवं 06–07 के कार्यालय व्यय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि सामग्रियों का क्रय करने के पश्चात् उनका भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं किया गया था। नियमतः वस्तु के क्रय करने के पश्चात् भंडार पंजी में उसको अनिवार्य रूप से अंकित करना हैं। क्रय किये गये समानों की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट – ड. पर संलग्न है।

क्रय किये गये सामाग्री की प्रविष्टि भंडार पंजी में कर ली जाए तब तक रू0 2747=00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

भाग –2

8. रोकड़ पुस्त में व्यय की प्रत्याशा में रखी गई राशि रू0 3,25,314=83 कोषागार में जमा योग्य :–

रोकड़ पुस्तों की जाँच में पाया गया कि विगत कई वर्षो से विभिन्न शीर्षो के रोकड़ पुस्तो में व्यय की प्रत्याशा में एक बड़ी राशि अव्यवहृत रूप में रखी गई थी। इस राशि में से न तो किसी तरह का व्यय किया जा रहा था और न तो कोषागार में ही जमा करने की कार्रवाई की गई थी।

दिनांक 31.03.07 को शीर्षवार रोकड़ पुस्त की विवरणी निम्नलिखित है –

क्रम संख्या	रोकड़ पुस्त का शीर्ष	राशि
01	2506 – भू0 रा0	1,02,320=00
02	288 – गृ0 योजना	94,988=48
03	विविध सूद	83,259=35

04	2235 – सा0 सुरक्षा	34,698=95
05	6505 – भू0 सु0	7500=00
06	2210 – प0 पो0	2519=30
07	2015 – निर्वाचन	28=75

रू0 3,25,314=83

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 के अनुसार खर्च से बची राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही संबंधित जमा शीर्ष में कोषगार में जमा कर देना चाहिए। परन्तु इस नियम के विपरीत वर्षो से शेष राशि को रोकड़ पुस्त में रखा गया था। शीर्ष – 2506,288,6505,2210 एवं 2015 के रोकड़ पुस्तों में 01.4.2000 के पूर्व की राशि संवरण शेष में चली आ रही है।

रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में किस मद की और किस विपत्र की राशि थी यह ज्ञात नही हो सका। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि संवरण शेष का विस्तृत विवरण मदवार तैयार कर अंकित कर दिया जाएगा।

रोकड़ पुस्त में अनावश्यक रूप से राशि रखने से विचलन की संभावना बनी रहती है। उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में अव्यवहृत राशि रू0 3,25,314=83 को कोषागार में जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

9. जमीन मापी शुल्क की राशि रू0 43,700=00 कोषागार में जमा करने के संबंध में :–

शीर्ष – 2029 भू0 राजस्व सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि जमीन मापी शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व रू0 43,700=00 को रोकड़ पुस्त के प्राप्ति पक्ष में रखा गया था। नियमानुसार राजस्व प्राप्त होने के पश्चात् अतिशीध्र कोषागार में अनिवार्य रूप से जमा करना है। परन्तु कार्यालय द्वारा ऐसा नही किया गया था।
राशि का विवरण निम्नलिखित है।

01. दिनांक – 01.04.05 से पूर्व की राशि – रू0 10,350=00
02. 05–06 एवं 06–07 में प्राप्त राशि – रू0 13,450=00
03. दिनांक 01.04.07 से 11.09.09 तक की राशि – रू0 19,900=00

कुल राशि – रू0 43,700=00

निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि जमीन मापी शुल्क की राशि को कोषागार में जमा कर दिया जाएगा।

रोकड़ पुस्त में अनावश्यक रूप से राशि रखने से विचलन की संभावना बनी रहती है। अनिवार्य रूप से रू0 43700=00 को कोषगार में जमा कराने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। राशि जमा होने के पश्चात् इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

10. सामान्य अभ्युक्ति :–

(i) अग्रिम रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रव रोकड़ पुस्त का संधारण करने के संबंध में :–

कार्यालय में अग्रिम रोकड़ पंजी एवं अभिश्रव रोकड़ पंजी का संधारण नही किया गया था। जबकि इन रोकड़ पुस्तों का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था। इन महत्वपूर्ण अभिलेखों के नही रहने से वास्तविक अग्रिम एवं अभिश्रवों की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में कठिनाई होती हैं। जैसा कि अंकेक्षण क्रम में पायी गई महत्वपूर्ण त्रुटियों से पता चलता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि अग्रिम रोकड़ पुस्त एवं अभिश्रव रोकड़ पुस्त का संधारण अविलंब प्रांरभ किया जाय।

(ii) सैरात बन्दोबस्ती अभिलेख संधारण करने के संबंध में –

सैरात बन्दोबस्ती रजिस्टर का संधारण कार्यालय द्वारा किया गया था परन्तु सैरात का अभिलेख संधारण नही किया गया था। प्रत्येक सैरात का बन्दोबस्ती अलग–अलग अभिलेख खोलकर किया जाना चाहिए था। भविष्य में सैरात बन्दोबस्ती का अभिलेख संधरित किया जाय।

(iii) रोकड़ पुस्त का संधारण टी0 सी0 फार्म –6 में करने के संबंध में –

कार्यालय में सामन्य रजिस्टर पर रोकड़ पुस्त का संधारण किया गया था, जबकि टी0 सी0 फॉर्म में किया जाना चाहिए था। भविष्य में इसका पालन किया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार</u>

(1)

(2)

परिशिष्ट – 'क'

(प्रतिवेदन की कंडिका – 1 ट से संबंधित)

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेख की सूची –

प्रस्तुत अभिलेख –

01. विपत्र पंजी
02. सामान्य रोकड़ पुस्त
03. सहायक रोकड़ पुस्त
    (i) शीर्ष – 2029 भू0 रा0
    (ii) शीर्ष – 2055 ग्रा0 पु0
    (iii) शीर्ष – 2245 सहाय्य
    (iv) शीर्ष – विविध सूद
    (v) शीर्ष – 288 गृ0 योजना
    (vi) शीर्ष – 2506 भू0 रा0
    (vii) शीर्ष – 6505 भू0 सु0
    (viii) शीर्ष – 2210 पल्स पोलियों
    (ix) शीर्ष – 2015 निर्वाचन
    (x) शीर्ष – 2235 सा0 सुरक्षा
    (xi) शीर्ष – एकादश वित्त आयोग
04. रेमिटेस पंजी
05. नाजिर रसीद
06. अग्रिम पंजी
07. अभिश्रव पंजी
08. बैंक रजिस्टर
09. सैरात पंजी
10. वेतन भुगतान पंजी
    (i) शीर्ष – 2029 भू0 रा0
    (ii) शीर्ष – 2055 ग्रामीण पुलिस
11. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
12. आकस्मिकता पंजी
13. कार्यालय व्यय से संबंधित अभिश्रव एवं वाहन रख–रखाव से संबंधित अभिश्रव का गार्ड फाईल
14. यात्रा भत्ता विपत्रों, की कार्यालय प्रतियाँ
15. एकादश वित्त आयोग की संचिका
16. असमायोजित अभिश्रव
17. असमायोजित अभिश्रव पंजी – भाग – 03 से 07 तक

18. हल्का सं0 01,02,03,04,05,06,07,08 एवं 09 का लगान रसीद बही, रजिस्टर 3A, लगान रसीद वही का स्टॉक पंजी, नाजिर रसीद का गार्ड फाइल।
19. बैंक पासबुक –
    (i) भारतीय स्टेट बैंक ,डुमँराव – बचत खाता संख्या – 01190005930
    (ii) भारतीय स्टेट बैंक , बक्सर – बचत खाता संख्या – 01100050006
    (iii) बैंक ऑफ इंडिया, नेनुआ – बचत खाता संख्या – 2968
    (iv) सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लि0 ,डुमँराव – बचत खाता संख्या – 43
    (v) पंजाब नेशनल बैंक ,डुमँराव – बचत खाता संख्या – 11157

अप्रस्तुत अभिलेख

01. सभी हल्का का रजिस्टर –2
02. सेवा पुस्त
03. स्थायी एवं अस्थायी सामग्री का भंडार पंजी
04. गाड़ी का लॉग बुक (TR-515)
05. एकादश वित्त आयोग से संबंधित योजना अभिलेख